भारत सरकार,

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीप्ज़- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096,
टेलीफोन.022-28294743/28294744,फैक्स नं.022-28291754,
ई-मेल-dcseepz-mah@nic.in, वेब-साइट:www.seepz.gov.in

कार्यालय आदेश संख्या /2015 दिनांकः /12/2015

भारत सरकार ने दिनांक 13 जनवरी 2010 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 75 (ई) के द्वारा दिनांक 13.01.2010 को सेज़ अधिनियम, 2005 की धारा 20,21 तथा 22 को लागू किया है। दिनांक 13 जनवरी 2010 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 76 (ई) के द्वारा सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के प्रयोजन के लिए विशेष व्यापार (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1992 के अधीन दंडनीय कार्यों अथवा चूकों को अधिसूचित अपराधों के रूप में अधिसूचित किया है। दिनांक 13 जनवरी 2010 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 77 (ई) के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र में किए जाने वाले अधिसूचित अपराधों के संबंध में, सरकार ने अधिकार क्षेत्र वाले विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त को प्रवर्तन अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया है।

उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अनुसार विकास आयुक्त को उपर्युक्त कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता के लिए निम्नलिखित धाराएं बनाई गई हैं। निम्नलिखित धाराओं का अधिकार क्षेत्र क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधीन कार्य करने वाले महाराष्ट्र, गोवा, दमण तथा दीव सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर होगा।

अनुभाग का नाम	अनुभाग का कार्य-क्षेत्र तथा कार्य की प्रकृति	अनुभाग प्रभारी	अधिकारी का नाम	संबंधित सहायक/प्राधिकृत अधिकारी का नाम
सीप्ज़-सेज़ निरीक्षण एजेन्सी	<u>प्रयोजन तथा कार्य-क्षेत्रः-</u> केंद्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विकासकों/यूनिटों का सर्वेक्षण अथवा निरीक्षण (जहां विकास आयुक्त को शक्ति प्रायोजित गई है)। 1) <u>निरीक्षणः</u> i)समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जवाहरात की परख करने का आदेश देने के सहित निर्यात/आयात की यादृच्छिक जांच पड़ताल। ii) ऐसे मामलों में जहां विकास आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो वहां निरीक्षण अथवा संयुक्त निरीक्षण।	श्री वी.पी. शुक्ल, उप विकास आयुक्त	1.श्री जे.एस.कोकाटे, वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी 2.श्री एस.बी.जगे, वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी 3. श्रीमती एम.जे.कुलकर्णी (केवल श्रम विधियों के लिए) 4. डॉ.ए.डी. पाटील (केवल श्रम विधियों के लिए)	1.श्री गणेश पौनिकर प्राधिकृत अधिकार 2.श्री मंगेश सुर्वे, प्राधिकृत अधिकारी 3. श्री रविन्द्र कुमार (केवल वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के अनुवीक्षण के लिए)

	2.लेखा परीक्षा/ जांच/ अनुवीक्षण **i.** वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का अनुवीक्षण। **ii.** समय-समय पर अनुदेशों/आदेशों के अनुसार यूनिटों का लेखा-परीक्षा। **3.तकनीकी निगरानी** सीसीटीवी के जरिए सातों दिन चौबीसों घंटे गेटों तथा सीप्ज़ की निगरानी।		1.श्री जे.एस.कोकाटे, वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी 2.श्री एस.बी.जगे, वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी	1.श्री शशिकांत तायडे 2.श्री अरविंद सावंत 3.श्री राजेन्द्र हातकमकर 4.श्री अजित सूर्वे 5.श्री गुलाब धकाते
सीप्ज़-सेज़ प्रवर्तन एजेन्सी (एसईए)	**प्रयोजन तथा कार्य-क्षेत्र** सेज़ अधिनियम की धारा 22 के परंतुक 1 के अधीन अधिसूचित अपराधों के संबंध में जांच-पड़ताल करना, तलाशी लेना तथा जब्ती करना अथवा ऐसे मामले जहां इसके लिए विकास आयुक्त द्वारा विशिष्ट अनुमति प्रदान की गई हो। **जांच-पड़ताल** 1.जहां एसआइए ने उल्लंघन का मुद्दा उठाया हो तथा जांच-पड़ताल की सिफारिश की हो। 2.जहां मामलों का पता लगाया गया हो। **(i)** निगरानी दल द्वारा। **(ii)** सुरक्षा द्वारा गेटों पर।	श्री वी.पी. शुक्ल, उप विकास आयुक्त	1.श्री जे.एस.कोकाटे, वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी 2.श्री एस.बी.जगे, वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी	1.श्री गणेश पौनिकर प्राधिकृत अधिकार 2.श्री मंगेश सुर्वे, प्राधिकृत अधिकारी

	3.अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वय। क्या अन्य एजेन्सियों द्वारा विशिष्ट अनुमोदन लिया गया है। 4. ऐसे मामले जिनमें विकास आयुक्त द्वारा विशिष्ट आदेश/अनुदेश जारी किए गए हों। **<u>न्यायनिर्णयन</u>** 1. अधिसूचित अपराधों के मामलों मे कारण बताओ नोटिस जारी करना। 2. अधिसूचित अपराधों के न्यायनिर्णयन के मामले में सहायता करना।			

एसआइए तथा एसईए क्षेत्रीय विकास आयुक्त के समग्र नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।
प्रभारी अधिकारी प्रत्येक निरीक्षण/जांच-पड़ताल की रिपोर्ट विकास आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

एन पी एस मोंगा

(एन.पी.एस.मोंगा)
क्षेत्रीय विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़

सं.सीप्ज़-सेज़/न्यूसेज़/सेज़ एक्ट 2005/30/2015-16/ 8553

प्रतिः

1. सभी संबंधित अधिकारी
2. सभी अनुभाग
3. कार्यालय आदेश फाइल
4. कार्यालय आदेश रजिस्टर
5. विआका
6. आइटी-वेब-साइट पर अपलोड करने के लिए